न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

महेन्द्र सिंह बनाम मुकेश दास बैरागी, सरकार

किस्म मुकदमाः— रिव्यु प्रार्थना—पत्र मिसल नं0 2024/5

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुये
25/02/2025	पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री सूरज सिंह यादव व अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 श्री रविन्द्र खण्डेलवाल उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 06.12.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते रिव्यु पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र वास्ते रिव्यू निर्णय दिनांक 06.12.2023 में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा अपील संख्या 80/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2019 मुकेशदास बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.23 में भूल व गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से प्रकट होती है एव अन्य प्रर्याप्त कारण के होते हुए, जिसका पुनर्विलोकन के किया जाना आवश्यक है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व खसरा नं0 211 की रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा भूमि 'माफी कब्जा बख्साउ' की बाग दर्ज है, जिस पर जुझार जी महाराज की मूर्ति, कुण्ड और महावीर जी छतरी आज भी स्थित है। भूमि खातेदार तुलसीराम बेटा रामकिशन धाभाई व मदनलाल बेटा जात धाबाई बास भाण्डाहेडा निजामत कनवास बाट बराबर दर्ज रिकार्ड है। स्व० श्री तुलसीराम उर्फ नाथूसिंह बेटा रामकिशन जात यादव (राजपूत) बास भाण्डाहेडा के खाते में माफी मुडकटी की ग्राम ढोटी में स्थित है, जहां पर कामदार घाभई थे, और स्व० श्री मदन लाल की शादी सोसर बाई जो धाभाई जात से थी, के साथ हुई थी। जिसके द्वारा गलत जात धाभई दर्ज कर दी गई है। प्रार्थी/अपीलान्ट ने वाद पत्र महेन्द्र सिंह बनाम कमला वगैरा की सत्य प्रतिलीपी पेश की है। जिसमें ट्रस्टी अध्यक्ष महेन्द्र सिंह को खातेदार का पौत्र अभिलिखित किया है। ट्रस्ट खातेदार के परिवार सदस्यों का पारिवारिक नीजि ट्रस्ट है। जिसका अवलोकन किये बगैर और खातेदारों से कोई सबंध होना स्पष्टतः अप्रमाणित मान कर भूल हुई है. जिस कारण निर्णय एवं डिकी का पुनिर्विलोकन किया जाना आवश्यक है। खसरा नं0 184 की रकबा 13 बिस्वा, 185 की रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा एवं 186 की रकबा 17 बिस्वा भूमि नकल खाता सम्वत् 1998 से 2005 में पडत	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

मजकूर दर्ज नही है। खसरा 211 की 8 बीघा 16 बिस्वा पडत मजकूर (बिना खाते की) होने से रेस्पो० कम–1 को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। खसरा नं० 184, 185, 185 के सबंध में अपीलान्ट/ प्रार्थी ने मसावी सम्वत् 1963 की पेश की है, जिसमें खसरा नं0 184, 185, 186 नक्शा में उसी स्थान पर तथा मसावी 1998 की पेश की जिसमें खसरा 168/738 रकबा सम्वत् 2013–14 की पेश की है जिसमें नक्शा में उसी स्थान पर अंकित है जिस स्थान पर वर्तमान में खसरा नं० 122, 123, 124 दर्ज है. तथा ख० नं0 168 भी अपीलान्ट / प्रार्थी की भूमि है। जिस पर जुझार जी महाराज की मूर्ति एवं कुण्ड आज भी स्थापित है। खसरां न० 184, 185, 186 गत खसरा नं0 211 का भाग नही है। ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड रेस्पो० कम–1/अप्रार्थी ने नहीं पेश किया है। खसरा नं0 211 का मिलान क्षेत्रफल राजस्व रिकार्ड में नही है। पूर्वजों द्वारा अपने खाते की भूमि बाग को चिन्हित करने के लिए पेड लगा कर जुझार जी महाराज की मूर्ति स्थापित कर कुण्ड का निमार्ण कराया गया, जिससे भूमि को आज भी चिन्हित किया जाता है। महावीर जी की छतरी सन् 1857 में स्थापित की गई है। मसाबी के आधार पर ख० नं0 122, 123, 124 ख० नं0 211 का भाग है, जिससे असहमत होने का कोई कारण अंकित नही किया है। इस प्रकार खसरा नं0 184, 195, 186 का खसरा नं0 211 से क्या सबंध है, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही होना मान कर भूल हुई है, जिस कारण निर्णय एवं डिक्री का पुनिर्विलोकन किया जाना आवश्यक है। इन्तकाल नं0 614 दिनांक 07.08.51 में लगा नोट पूरा न तो पढ़ा गया और न निर्णय में अंकित किया गया। 'नोट गांव वालों से ज्ञात होता है कि मोनी महाराज जी यहां नहीं है कहां गया है वो मालूम नहीं है।' जब 1951 में ही मोनी महाराज कन्हैयादास मौके पर मौजूद नहीं था, तो उसका कब्जा किस प्रकार प्रतित हो गया। अपीलान्ट 70 वर्षों से अपने पिता के साथ बाग पर आता और ढोक वंदन करता रहा है। बाग में किसी के द्वारा भी मवेशी को पानी नही पिलाया जाता था और न किसी का कब्जा था। इन्तकाल नं0 663 (657) पर पडत का नोट अंकित है। इन्तकाल की इबारत समझाने में भूल हुई है। रेस्पो० का तर्क था कि कन्हैयादास से प्रमाणित मानकर रकम वसूल की गई है। इन्तकाल का गहनता से अध्ययन करने पर प्रमाणित है कि कन्हैयादास से कोई रकम वसूल नही हुई ओर इन्तकाल पर सम्वत् 2012 में ख० नं0 858/211 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, ख० नं० 859/211 रकबा 16 बिस्वा जुमला 2 बीघा 12 बिस्वा आराजी पड़त हो गई है। खारिज फरमाई जावे, नोट दिनांक 21.07.56 को भूमि 2 बीघा 12 बिस्वा पडत खारिज होकर नालयक में जावे, लगा कर भूमि पडत रही, जिस पर तथाकथित कन्हैयादास का कब्जा नही था, इन्तकाल में पैसा वसूल हो.... का ही अंकन है वसूल किया नहीं लिखा। वस्तुतः रेस्पो० कम–1 जिसे तथाकथित कन्हैयादस बता रहा है और जिसका देहान्त 1983 होने का कथन करता है, वह अन्य व्यक्ति है, जिसका भूमि पर कभी कब्जा नही रहा तथा जिसके द्वारा फर्जी हस्ताक्षर करके, इन्तकाल में नोट बढा

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा

करके सेटलमेंन्ट से भमि खसरा नं0 168/738 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा रकबा बडा कर अपने खाते दर्ज करा ली, सेन्टलमेंन्ट विभाग को प्रार्थी/अपीलान्ट की भूमि बिना किसी सक्षम अधिकारी के दर्ज करने का अधिकार नही था। इस कारण रिकार्ड पढने एवं निर्णय करने में भूल हुई है, जिस कारण निर्णय एवं डिकी का पुनिर्विलोकन किया जाना आवश्यक है। खसरा न० 168/738 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 211 रकबा 8 बिघा 16 बिस्वा का भाग है, तथा शेष खसरा नं0 168 अपीलान्ट/प्रार्थी की भूमि है। ख० नं० 858/211 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, ख० नं० 859/211 रकबा 16 बिस्वा जुमला 2 बीघा 12 बिस्वा जो खसरा नं0 211 के मीन नम्बर है। इस प्रकार खसरां नं0 168/738 का रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा से रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा कैसे बढ़ौतरी हो गई और जिस पर राजस्थान टीनेसी एक्ट के समय तथकथित कन्हैयादास का कब्जा न होकर अपीलान्ट/प्रार्थी के पूर्वजों का था। ट्रस्ट प्रलेख वर्ष 2013 में अस्तित्व में आया है जिसमें भूमि का रकबा दर्ज है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह खातेदार तुलसीराम उर्फ नाथूसिंह जी के पौत्र है। इन्तकाल में उस समय मौके पर जारी गतिविधियों का अंकन है, जो एक फिजिकल प्रोसिडिंग है, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। विवादग्रस्त भूमि की राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 एवं राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के समय प्रार्थी/अपीलान्ट की स्थिति का निर्णय वाद में जवाब देही का अवसर प्रदान कर तनकी बना कर साक्ष्य से वाद में तय होगी, इस स्टेज पर बिना गुणावगुण के अपील का निर्णय करके इस स्टेज पर इस बिन्दू पर ध्यान केन्द्रीत करके निणर्य करने में भूल की है। इस प्रकार प्रार्थी/अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि की हितबद्धता दस्तावेजी साक्ष्य से साबित की है और धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के लिए प्रर्याप्त साक्ष्य पेश की है। इस कारण धारा 96 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर निर्णय एवं डिकी का पुनिर्विलोकन किया जाना आवश्यक है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1977 पेज 62 प्रस्तुत किया। अन्त में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय न्यायायल राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा का निर्णय एवं डिकी दिनांक 06.12.2023 अपील संख्या 2023/132 (पुराना नम्बर 2019/248) निर्णय व डिकी दिनांक 06.12.23 महेन्द्र सिह बनाम मुकेश दास का पुर्नर्विलोकन किया जाकर धारा 96 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण विषयक आराजी खसरा नम्बर–122, 123, 124 वाके– ग्राम सकतपुरा तह० लाडपुरा जिला कोटा राज० का अप्रार्थी संख्या 1 रिकॉर्डेड खातेदार व काबिज काश्त है। प्रार्थी द्वारा कॉल्यूजन

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

COURT FEE COURT FEE

कर अप्रार्थी संख्या 1 मुकेशदास की आराजी को हडपने पर आमादा है। प्रार्थी उक्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार व काबिज काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2019 से प्रार्थी के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 22.02.2019 से प्रार्थी व्यथित पक्षकार नहीं है जिसके कारण प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील 2019/00248 स्वीकार योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के खाते की भूमि के सम्बंध में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2019 में खसरा नम्बर 122, 123 व 124 की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज किए जाने का आदेश अंकित किया है। प्रार्थी का विवादित खसरा नम्बर 122, 123 व 124 की भूमि से कोई सम्बंध नहीं है। अतः प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2019 से प्रभावित पक्षकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय व डिक्री में अप्रार्थी संख्या 1 को खातेदार घोषित किया है और उक्त निर्णय व डिक्री से उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा भी मुकेशदास का ही प्रमाणित है। न्यायालय हाजा के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह प्रमाणित करवाया गया है कि प्रार्थी का वाद विषयक भूमि से किसी भी प्रकार का कोई भी सबंध नहीं है और ना ही उक्त आराजी का खातेदार है और ना ही उक्त आराजी पर किसी दस्तावेजी साक्ष्य से उसका कब्जा काश्त प्रमाणित है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां वाद सख्या–80/2016 में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे मे उक्त भूमि पर अप्रार्थी मुकेशदास का ही कब्जाकाश्त माना गया है और उक्त भूमि पर प्रार्थी का कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2023 में प्रार्थी अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है तथा प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील में उठाये गये प्रत्येक बिन्दु पर विधि की विवेचना करते हुए निर्णय पारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2019 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से इसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रश्नगत रिव्यु प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील संख्या 5245/1997 में पारित निर्णय दिनांक 14.10.1997 एवं

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील संख्या, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की रिव्यु पिटीशन संख्या 155/1997 में पारित निर्णय दिनांक 07.09.1999, माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील संख्या 2749–2750/2018 में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2018 एवं सिविल अपील संख्या 5841–5842/2002 में पारित निर्णय दिनांक 12.11.2002 प्रस्तुत किए। अन्त में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाकर न्यायालय हाजा की अपील संख्या 2019/00248 एवं अपील संख्या 2023/132 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2023 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते रिव्यू निर्णय दिनांक 06.12.2023 का अवलोकन किया। प्रश्नगत प्रकरण रिव्यु का है अतः सी.पी.सी. का आदेश 47 अवलोकनीय है जो इस प्रकार है– "Application for review of judgment.-(1) Any person considering himself aggrieved- (a) by a decree or order from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred,(b) by a decree or order from which no appeal is allowed, or (c) by a decision on a reference from a Court of small Causes, and who, from the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence, was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made, or on account of some mistake or error apparent on the face of the record, or for any other sufficient reason, desires to obtain a review of the decree passed or order made against him, may apply for a review of judgment of the Court which passed the decree or made the order. (2) A party who is not appealing from a decree or order may apply for a review of judgment notwithstanding the pendency of an appeal by some other party except

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

	where the ground of such appeal is common to the applicant and the appellant, or when, being respondent, he can present to the Appellate Court the case on which he applies for the review. [Explanation. The fact that the decision on a question of law on which the judgment of the Court is based has been reversed or modified by the subsequent decision of a superior Court in any other case, shall not be a ground for review of such judgment.]" अतः आदेश 47 के अनुसार किसी भी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की समीक्षा तब ही किया जाना उचित है जब रिकॉर्ड में कोई गलती या त्रुटि होना प्रकट होता हो। अपीलांट प्रार्थी द्वारा मसाबी 1998 के आधार पर प्रश्नगत खसरा नम्बर 122, 123 व 124 को स्वयं के खाते की भूमि होने का कथन किया है तथा प्रार्थी का कथन है कि न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2023 में उक्त मसाबी से असहमत होने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। परन्तु न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय के पेज नम्बर 19 लगायत 26 में प्रार्थी द्वारा क्लेम की गई प्रश्नगत खसरा नम्बर 122, 123 व 124 की भूमि में प्रार्थी अपीलांट का हक अधिकार एवं किसी प्रकार का सम्बंध होने के तथ्य पर दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत विवेचन किया गया है जिसके आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा प्रश्नगत खसरा नम्बर 122, 123 व 124 की भूमि से प्रार्थी अपीलांट का कोई सम्बंध नहीं होने का निष्कर्ष पारित किया गया है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा पत्रावली में संलग्न सभी राजस्व अभिलेख एवं दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2023 पारित किया गया है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2023 में अभिलेख के आधार पर किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है। हमारे मत में किसी भी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की समीक्षा तब ही किया जाना उचित है जब रिकॉर्ड में कोई गलती या त्रुटि होना प्रकट होता हो। इस सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2749–2750/2018 में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2018 उद्धृत किया है जिसे अनुसार "Civil procedure Code, 1908 order 47, rule 1- Review- Scope	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

of- Appellate powers and review powers are well defined- Power of review is very limited and may be exercised only if there is mistake or error on the face of record- Review petition cannot be decided like regular intra court appeal- What was not decided in appeal by division bence could not be decided by Division Bench while deciding review application." चूंकि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2023 में अभिलेख के आधार पर किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है। अतः अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों पर चस्पा होता है। हमारे मत में रिव्यु का दायरा बहुत सीमित है तथा रिव्यु केवल रिकॉर्ड में त्रुटि होने पर ही स्वीकार किया जाना कानूनन उचित है। परन्तु न्यायालय हाजा द्वारा पत्रावली में संलग्न सभी दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया जाकर एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी जाकर विधि अनुसार प्रश्नगत निर्णय दिनांक 06.12.2023 पारित किया गया है तथा प्रश्नगत निर्णय दिनांक 06.12.2023 में कोई एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे। प्रार्थना–पत्र की पत्रावली मूल अपील की पत्रावली के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

25/2/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा